

तार : पर्यावरण

GRAM : PARYAVARAN

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW

क्षेत्रीय कार्यालय

Regional Office



सन्दर्भ सं०

Ref. No.

531/Noe-438C/20

दिनांक 23/10/20

Dated :20

सेवा में,

सीनियर सेल्स आफिसर(आर0एस0) एसपीएन-3,
मै0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0,
डिवीजनल आफिस, 35 ए सिविल लाइन्स, कमला नेहरू मार्ग,
जनपद-बरेली-243001

विषय:- मै0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 द्वारा किमी0-24 ग्राम-बेलराया-पनवारी मार्ग पर एसएच-21, खसरा संख्या-407, ग्राम-बरोठा कला,तहसील-निघासन, जिला-खीरी पर पेट्रोल/डीजल के रिटेल आउटलेट हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-BOD/SPN3/Forest/OCT/1 दिनांक-21-10- 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से मै0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 द्वारा किमी0-24 ग्राम-बेलराया-पनवारी मार्ग पर एसएच-21, खसरा संख्या-407, ग्राम-बरोठा कला,तहसील-निघासन, जिला-खीरी पर पेट्रोल/डीजल के रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिये अनापत्ति हेतु स्पष्ट अभिमत की अपेक्षा की गई है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रकरण के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि उपरोक्त वर्णित प्रोजेक्ट से मै0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 द्वारा किमी0-24 ग्राम-बेलराया-पनवारी मार्ग पर एसएच-21, खसरा संख्या-407, ग्राम-बरोठा कला,तहसील-निघासन, जिला-खीरी पर पेट्रोल/डीजल के रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु नियमानुसार (सुरक्षा मानकों की दृष्टि से) सुरक्षित भूमिगत टैंक की स्थापना किये जाने की शर्त के साथ आप द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आख्या वांछित अनुमतियों को प्रभावित नहीं करेगा। पेट्रोल पम्प पर यदि जनरेटर की स्थापना की जाती है तो ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकास्टिक इनक्लोजर लगाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त हेतु बोर्ड से पृथक रूप से सहमति प्राप्त किया जाना भी अनिवार्य होगा।

भवदीय

(डा0 राम करन)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. शिवांगी अग्रवाल, मै0 इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि0,गाटा संख्या-407, ग्राम-बरोठा कला,तहसील-निघासन, जनपद-लखीमपुरखीरी को प्रार्थना पत्र दिनांक 21/10/2020 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-5),उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी